राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3176/2025

रमेशचन्द बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर।
3. महा उपनिदेशक, होम गार्ड, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.06.2025
आदेश की दिनांक : 04.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद पर कार्यालय, महानिदेशक, होम गार्ड, मुख्यालय, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, यजपुर से प्राचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र) बाड़मेर में किया गया, जो की अपीलार्थी के पदस्थापन स्थान से लगभग 700 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी ने इस संबंध में अधिकरण में अपील संख्या 2561 प्रस्तुत की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपील का निस्तारण करते हुए विवादित स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगा दी गई एवं अपीलार्थी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया और अधिकारियों को अपीलर्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को निदेशक, कोषागार एवं लेखा के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए यह अंकित करते हुए कार्यमुक्त कर दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण न्यायालय के उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका कथन है कि उक्त कार्यमुक्ति आदेश स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किया गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानान्तरण/एपीओ मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति से ही पारित किये जा सकते है। उनका कथन है कि उक्त आदेश अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर सहायक लेखाधिकारी–I के पद पर महानिदेशक नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग , जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह

की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष